

109 251
D. 3.6.1972

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(199)
New Delhi-1, the 25th March, 1972.

NOTIFICATION

S.O. 1302 .- In pursuance of clause (1) of article 239 of the Constitution, the President hereby directs that, subject to his control and until further orders, the powers and functions of the appropriate Government under -

- (i) the Land Acquisition Act, 1894 (1 of 1894), except those of the Central Government under the provisos to sub-section (1) of section 55; and
- (ii) the Land Acquisition (Companies) Rules, 1963,

shall also be exercised and discharged by the Administrator of the Union territory of Arunachal Pradesh within that Union territory.

[No.F.2/2/72-UTL]

M.R. Sachdeva
(M.R. SACHDEVA)

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

नई दिल्ली-1 ता 25-3-1972.

अधिसूचना

क्र० आ० 1302 राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 239 के खण्ड (1) के अनुसरण में एतद्वारा निदेश देते हैं कि उनके नियंत्रणाधीन रहते हुए तथा और आगे आदेशों तक -

- (i) भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 (1894 का 1) की धारा 55 की उपधारा (1) के परन्तुओं के अधीन केन्द्रीय सरकार की उन शक्तियों और कृत्यों के सिवाय, और
- (ii) भूमि अर्जन (कम्पनी) नियम, 1963 के अधीन, समुचित सरकार की शक्तियाँ और कृत्य, अरुणाचल प्रदेश संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक द्वारा, भी उस संघ राज्य क्षेत्र के क्षेत्र, प्रयुक्त की जाएँगी और निर्वहन किए जाएँगे।

(फा० सं० 2/2/72-यू. टी. एल.)

ए. आर. सचदेव
(एम० आर० सचदेव)

अवर सचिव, भारत सरकार।

To

The General Manager,
Government of India Press,
Main Wing, NEW DELHI.